तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.3.23	[illegible]वली पेश हुई। अभियापकगणों द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रखा । पत्रावली वास्ते [illegible] कार्यवाही दिनांक 16.5.23 को पेश हो।	
16/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान [illegible] है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ [illegible]/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 14/7/23 को पेश हो।	
17.5-23	पत्रावली प्रशासंन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत चिन्हित की गई है। अतः पत्रावली केम्प दिनांक 18.5-23 को पेश हो ।	
18.5-23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत आज केम्प [illegible] में पेश हुई। पत्रावली पूर्वादेशानुसार नियत तिथि 18.7.23 को पेश हो ।	
18.7.23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/7/23 को पेश हो।	
25/7/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है। पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 19-12-22 का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा च[illegible] रास्ता निकटतम नही [illegible] रास्ते पर म[illegible] बारिंग लगा हुआ है। तहसीलदार नैनवां की	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रिपोर्ट के अनुसार रास्ते के सम्बन्ध में पुनः जांच करने पर पाया गया कि पूर्व मे दिया गया रास्ता ही दिया उचित प्रतीत होता है, इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उभयपक्षकारान ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है तथा खसरा संख्या 401 की दक्षिणी मेड़ पर 51 X 2 = 102 वर्ग गट्ठा भूमि पर होकर खसरा संख्या 402 गैरमुमकिन धोरा (सिंचाई विभाग) 2 X 2 = 4 वर्ग गट्ठा को छोड़ते हुए रास्ता घोषित करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार रिपोर्ट एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्षकारान इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2020 मे दिये गए रास्ते मे से खसरा सं. 402 गैर मुमकिन धोरा (सिंचाई विभाग) के [illegible] 4 वर्ग गट्ठा को [illegible] पूर्ववत दिये जाने [illegible] अत: प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाता है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.10.2020 में दिये गए आदेश में से खसरा सं. 402 गैमु. चोंश (सिन्चाई विभाग) में से रास्ता नहीं दिया जाकर शेष खसरा सं. 401 की दक्षिणी मेड़ पर 51×2=102 वर्ग गट्ठा नाम का रास्ता राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार नैनवां को पालना हेतु तहरीर जारी की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested